42/2017 इस्लाम — जब्बार

दिनांक	आज्ञा पत्र
26.7.2018	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र बाबत खारिज करने अपील पेश – विद्वान वकील प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने बहस, प्रार्थना पत्र में कथन किया कि उक्त अपील न्या0 राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 18-1-2018 की पालना में दिनांक 24-1-2018 को दर्ज हुई। राजस्व मण्डल के आदेश की पालना में दिनांक 24-1-18 से 15 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 7-2-18 तक शेष रेस्पोडेन्ट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करने के आदेश थे जो अपीलान्ट ने 15 दिन की मियाद खत्म होने के बाद दिनांक 8-2-2018 को पेश किये। राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 18-1-2018 के क्रम में अपील दिनांक 7-2-18 को अपील खारिज हो जानी चाहिये थी। अदालत हाजा ने दिनांक 8-2-18 को पत्रावली को जीवित मानकर कार्यवाही की है वह कानूनन गलत है। प्रकरण की समयावधि दिनांक 7-2-18 को पूर्ण हो चुकी थी। अतः अपील को आज ही तारीख पेशी में ली जाकर निगरानी/टीए0/सं0-6550/2017 में पारित आदेश दिनांक 18-1-18 की पालना में निरस्त की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अपीलान्ट ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 18-1-2018 को आदेश पारित किया जिसमें अदालत हाजा में उपस्थित होने के निर्देश दिये तथा रेस्पोडेन्ट के रजिस्टर्ड एडी नोटिस 15 दिन के अन्दर अन्दर पेश करने के निर्देश दिये अपीलान्ट ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशो की पालना में दिनांक 8-2-18 को रेस्पोडेन्ट के रजिस्टर्ड एडी नोटिस पेश कर दिये जो मियाद के अन्दर पेश किये गये है। रेस्पोडेन्ट ने यह प्रार्थना पत्र मिथ्या पेश किया है। रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई ।पत्रावली का अवलोकन किया गया । माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 18-1-2018 में निगरानी

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	1500/-रूपये की कोष्ट पर स्वीकार की जाकर अपीलान्ट को अदालत हाजा में दिनांक 24-1-18 को उपस्थित होकर शेष रेस्पोडेन्ट के रजिस्टर्ड एडी नोटिस 15 दिन के अन्दर अन्दर पेश करने के निर्देश दिये हैं । माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार दिनांक 24-1-2018 से 15 दिन दिनांक 7-2-2018 तक हो जाते है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया है शेष रेस्पोडेन्ट के रजिस्टर्ड एडी नोटिस 15 दिन के अन्दर अन्दर पेश करें। अपीलान्ट ने माननीय राजस्व मण्डल के स्पष्ट आदेशों की पालना न कर नोटिस 15 दिन के अन्दर अन्दर पेश नहीं किया। यह प्रश्न केवल गणित पर आधिरित है । अपीलान्ट ने दिनांक 24-1-18 से 7-2-18 तक {15 दिन के अन्दर अन्दर} नोटिस पेश नहीं किये है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेशो की पालना न कर नियत दिनो के बाद नोटिस पेश किये जिससे अपीलान्ट की अपील स्वत: ही आदेशों की पालना नहीं करने पर खारिज हो चुकी है ।	
	अत: उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य मे प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनू का निर्णय दिनांक 28-2-2017 यथावत रखा जाता है ।	
	निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।	
	26/7/18 {भंवरलाल मेहरड़ा} भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	